कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

डाण्डा लखौण्ड,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248001

ई मेल:- mdnhmuk@gmail.com फोन / फैक्स 0135-2608646

पत्रांक: UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters-IV/ 1173 दिनांक: 22/ अप्रैल / 2026

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,

जनपद–रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार एवं पौड़ी गढवाल।

विषय– चारधाम यात्रा–2026 को तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त किये जाने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अन्तर्गत सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA) का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उक्त के क्रम में चारधाम यात्रा–2026 को तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त बनाने हेतु **सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन प्रतिबन्धित है, साथ ही धूम्रपान एवं धूम्रपान रहित तम्बाकू के थूकने पर प्रतिबन्ध है, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान है।**

इसी क्रम में चारधाम यात्रा– 2026 को तम्बाकू एवं धूम्रपान मुक्त बनाने हेतु निम्न गतिविधियाँ आयोजित करना आवश्यक है:–

1. चारधाम यात्रा परिसर/मार्गों में **"धूम्रपान निषेध"** से सम्बन्धित बोर्ड का प्रदर्शन करना।
2. चारधाम यात्रा परिसर/मार्गों में तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से सम्बन्धित डिस्प्ले बोर्ड का प्रदर्शन करना।
3. चारधाम यात्रा मार्गों, होटलों तथा रेस्टोरेंटों में कोटपा, 2003 के अन्तर्गत सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को प्रतिबन्धित करना तथा हुक्का बार/हुक्का पान को प्रतिबन्धित करना।
4. समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को अर्थदण्ड रसीद उपलब्ध कराना।
5. तीर्थयात्रियों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर, पोस्टर, होर्डिंग आदि के द्वारा जागरूक करना।
6. चारधाम परिसर/यात्रा मार्गों के किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा एवं हुक्का इत्यादि के उपयोग को प्रतिबंधित करना।

अतः उक्तानुसार **चारधाम यात्रा– 2026** को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। साथ ही कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी अवगत करायें।

भवदीया,

(डा0 रश्मि पन्त)
निदेशक (एन0एच0एम0)

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
5. जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, जनपद–रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार एवं पौड़ी गढवाल।

(डा0 रश्मि पन्त)
निदेशक (एन0एच0एम0)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner